कुलसचिव कार्यालय
लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ–226007
(नैक द्वारा ए++ ग्रेड प्रत्यायित)

संदर्भ संख्या :../सम्ब.अनु./2025

दिनांक :. ....

समयबद्ध/रजिस्टर्ड/स्पीडपोस्ट/व्यक्तिगत

कार्यालय–ज्ञाप

उच्च शिक्षा अनुभाग–1, उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या : 1529/सत्तर–1–2025, दिनांक 05.09.2025 के निर्देशानुपालन में लखनऊ विश्वविद्यालय से सहयुक्त समस्त विधि महाविद्यालयों को निर्देशित किया जाता है कि विधि त्रिवर्षीय एवं पंचवर्षीय पाठ्यक्रमों में विश्वविद्यालय से प्रदत्त सहयुक्तता के पश्चात उक्त पाठ्यक्रमों में बी0सी0आई0 की अनुमति के उपरान्त ही प्रवेश लिया जायेगा क्योंकि संदर्भित पाठ्यक्रमों में प्रदत्त सहयुक्तता (अस्थायी/स्थायी) बी0सी0आई0 के अनुमोदनाधीन होती है। अर्थात बी0सी0आई0 की मान्यता नहीं होने पर सहयुक्तता स्वतः निष्प्रभावी होती है।

अतः सत्र 2025–26 में विधि त्रिवर्षीय एवं पंचवर्षीय पाठ्यक्रमों में उपरोक्तानुसार ही प्रवेश प्रक्रिया सुनिश्चित की जाय और विश्वविद्यालय की सहयुक्तता एवं बी0सी0आई0 की मान्यता के बिना यदि प्रवेश लिया जाता है तो ऐसे विद्यार्थियों की परीक्षायें विश्वविद्यालय द्वारा कराया जाना विधिक रूप से सम्भव नहीं होगा और किसी प्रतिकूल परिस्थिति के लिए सम्पूर्ण उत्तरदायित्व महाविद्यालय का होगा तथा शासनादेश के आलोक में नियमानुसार सम्बन्धित महाविद्यालय के विरूद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही संस्थित की जा सकती है।

(डॉ0 भावना मिश्रा)
कुलसचिव

संख्या : AF-16601-04 दिनांक : 10/09/2025

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. सचिव कुलपति को मा0 कुलपति महोदय के अवलोकनार्थ।
2. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, सेक्टर–एम, आशियाना, लखनऊ।
3. इंचार्ज, वेबसाईट/कम्प्यूटर केन्द्र, ल0वि0वि0 को इस आशय से प्रेषित कि समस्त सहयुक्त महाविद्यालयों (लखनऊ, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, रायबरेली एवं हरदोई) को ई–मेल से प्रेषित करने का कष्ट करें।
4. प्रबन्धक/प्राचार्य/प्राचार्या, समस्त सहयुक्त महाविद्यालयों (लखनऊ, रायबरेली, सीतापुर, लखीमपुर खीरी एवं हरदोई) को अनुपालनार्थ।
5. गार्ड फाईल।

(डॉ0 भावना मिश्रा)
कुलसचिव